

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं. 65/2014	धारा अंतर्गत 88,89,92A,188 RTA	ग्राम खेरखेड़ा भूरा	तहसील छबड़ा
वादी कजोड़	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी सरकार वगै०	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

4-6-14

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92A,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 07.07.2014 को पेश हो।

7-7-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.7.14 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा / बारा

31-7-14

पत्रावली पेश हुई वकील काठी उद.। जवाब पेश नहीं हुआ।
समूह-जाह्निकी पत्रावली काठि जवाब दिनांक 17-9-14 को पेश हो।

17-9-14

पत्रावली पेश हुई वकील काठी उद.। जवाब पेश नहीं हुआ।
समूह-जाह्निकी पत्रावली काठि जवाब दिनांक 5-11-14 को पेश हो।

5-11-14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 24-12-14 को पेश हो।

24/12/14

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18-5-15 को पेश हो।

रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा / बारा

रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा / बारा

18/5/15

वकील फरीकैन उपस्थित / पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोम्प कोर्ट मुद्रांक 18/5/15 को पेश हो।
दिनांक 18/5/15 को पेश हो।

18/5/15

आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 23-6-15 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा / बारा

122 फ्रीक्ली पक्षा हुई। वकील प्राप्ति अनुपस्थित। वकील प्राप्ति में तीन बार आवान लगावाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत हाजरी क्रम में खारिज किया जाता है फ्रीक्ली के अलावा दो बार दारिज दफ्तर हो।

उपखण्ड कारी
छवड़ा (बारा)